UPMO010071252026

न्यायालय **अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मुरादाबाद**

पीठासीन अधिकारी**-** (अनिल कुमार-IV)**,**

(उ०प्र० न्यायिक सेवा **) - UP06124**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2184/2026

संजय कुमार, उम्र लगभग 53 वर्ष, पुत्र दीनदयाल गुप्ता, निवासी–टीचर्स कॉलोनी, फेज़–2, अण्डावा झूंसी, थाना–झूंसी, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), मुरादाबाद।

...........अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–348/2025,
धारा–318(4) बी0एन0एस0,
थाना–भगतपुर, जिला–मुरादाबाद।

22.07.2026

1– आवेदक/अभियुक्त संजय कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में दुश्मनी के कारण झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी निर्दोष है। अभियोजन कहानी झूंठी व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थी के विरुद्ध कोई विश्वसनीय व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गए तथ्यों, समय व दिनांक में गहरा विरोधाभास है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी व वादी मुकदमा के बीच कोई सीधा लेन–देन नहीं हुआ है। अपराध सात वर्ष तक की सजा की श्रेणी में आता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा सुमित कुमार सैनी के विरुद्ध कथित घटना से दो माह पूर्व मुकदमा अपराध सं0–945/2025 थाना–क्वार्सी, जिला–अलीगढ़ में दर्ज कराया गया है, जिसमें विवेचना प्रचलित है, उक्त मुकदमें में दबाव बनाने के लिए प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत मुकदमा झूंठा व फर्जी लिखा दिया गया है। प्रार्थी के जमानत पर छूटने के बाद उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र एवं जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पैरोकार श्रीमती आसमॉ खान द्वारा शपथ पत्र में कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.23 12:15:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थना पत्र है। उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा सुमित कुमार द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष धारा–175(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी सुमित कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, ग्राम–शिवनगर, थाना–ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद का निवासी है। प्रार्थी एसबी एग्रो फोजन फूड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। माह फरवरी, 2025 में प्रार्थी की मुलाकात दीनदयाल फोजन के डिस्ट्रीब्यूटर संजय कुमार गुप्ता पुत्र दीन दयाल गुप्ता, निवासी–01/36 सी, संजय कॉलोनी, नोरंगाबाद ओल्ड, समा चुंगी, अलीगढ मो0 नं0–7355951612 व धर्मेन्द्र वासले पुत्र नामालूम, निवासी–मथुरा रोड, अलीगढ़ मो0 नं0–9837766000 व रामप्रकाश गुप्ता पुत्र नामालूम, निवासी–पुराना बस स्टैन्ड के पीछे, प्रकाश बीज भण्डार, अलीगड मो0 नं0–7017026576 से हुई, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के साथ 3,32,50,000/– रुपए का दिनांक 18.03.2025 को एग्रीमेन्ट हुआ था, जिसमें 50 प्रतिशत एडवान्स जमा करने की शर्त प्रार्थी से रखी गयी थी। धर्मेन्द्र वासले एमडी फेस फोजन फूड्स का स्वामी है। प्रार्थी ने अपने बचत खाता संख्या–08050200001108, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–काशीपुर से दिनांक 21.02.2025 को संजय गुप्ता के कहने पर दीनदयाल फोजन फूड्स के बचत खाता संख्या–10206705980 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, शाखा–अलीगढ़ में 2,00,000/– रूपये दिनांक 21.02.2025 को, 8,00,000/– रूपये दिनांक 22.02.2025 को, 4,00,000/– रूपये, दिनांक 27.02.2025 को 10,00,000/– रुपए, दिनांक 28.02.2025 को 22,01,500/–रुपए, दिनांक 01.03.2025 को 10,00,000/– रुपए, दिनांक 02.03.2025 को 2,00,000/– रुपए, दिनांक 03.03.2025 को 10,00,000/– रुपए, दिनांक 04.03.2025 को 1,00,000/– रुपए, दिनांक 04.03. 2025 को 10,00,000/– रुपए, दिनांक 06.03.2025 को 10,00,000/– रुपए, दिनांक 06.03.2025 को 13,00,000/– रुपए, दिनांक 06.03.2025 को व 10,00,000/–रू दिनांक 08.03.2025 को व 5,00,000/–रू दिनांक 08.03.2025 को व 6,00,000/–रू दिनांक 08.03.2025 को व 10,00,000/–रु दिनांक 10.03.2025 को 20,00,000/–रू दिनांक 11.03.2025 को व 25,00,000/–रू दिनांक 11.03.2025 को व 3,00,000/–रू दिनांक 19.03.2025 को व 6,00,000/–रु दिनांक 22.03.2025 को व 5,00,000/–रू दिनांक 24.03.2025 को व 10,00,000 /–रू दिनांक 29.03.2025 को व 2,00,000/–रू दिनांक 04.04.2026 को व 2,00,000 /–रू दिनांक 08.04.2025 को व 5,30,000/–रू दिनांक 15.04.2025 को व 1,50,000 /–रू दिनांक 15.04.2025 को व 50,000/–रू दिनांक 15.04.2025 को व 50,000/–रू दिनांक 05.05.2025 को व 2,00,000/–रू दिनांक 05.05.2025 को व 20,000/–रु ' 21 दिनांक 22.05.2025 को

व 2.16.720/– दिनांक 24.05.2025 को व 1,00,000/तपुर दिनांक 28.05.2025 को व 8,60,000/–रू दिनांक 06.06.2025 को व 20,000 दिनांक 21.06.2025 को व 50,000/–रू दिनांक 12.07. 2025 को व 12,00,000/दिनाक 14.07.2025 को नेट बैंकिग के द्वारा अपने बचत खाते बैंक ऑफ बड़ौदा, काशीपुर से धनराशि अन्तरण किये, जिसकी स्टेटमेन्ट प्रति संलग्न है। उक्त अन्तरण में संजय कुमार गुप्ता का पुत्र नाम अज्ञात भी शामिल है। जिसके द्वारा संजय गुप्ता ने प्रार्थी से अन्तरेण के समय बात करायी थी। प्रार्थी को दिनांक 01.05.2025, 02.05.2025 व 11.03.2025 व 22.03. 2025 व 25.03.2025 को 71,56,590/–रू का माल भेजा। प्रार्थी ने उक्त संजय कुमार गुप्ता व उसके पुत्र से फोन पर अपने द्वारा अन्तरण की गयी धनराशि का माल भेजने के लिए कहा तो उक्त संजय गुप्ता व उसके पुत्र ने माल भेजने तथा प्रार्थी द्वारा दी गयी धनराशि वापस देने से साफ साफ इन्कार कर दिया। उपरोक्त मुल्जिमानों ने शेष रकम 1,68,91,630/–रू0 की रकम हड़प ली है तथा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की। इस प्रकार प्रार्थी से 2,40,48,220/–रू0 की धनराशि प्राप्त कर 71,56,590/–रू का माल भेजकर प्रार्थी की 1,68,91,830/–रू0 की धोखाधडी कर रकम हडप ली है। प्रार्थी दिनाक 04.11.2025 को संजय गुप्ता को बिना बताये अलीगढ़ गया तो उपरोक्त मुल्जिमानों में से कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। प्रार्थी काफी इन्तजार करने के बाद अलीगढ़ से अपने घर वापस आ रहा था। घटना दिनांक 05.11.2025 को समय सांय करीब 3:55 बजे की है कि प्रार्थी राजघाट रामगंगा पुल पर पहुंचा तब पहले से ही घात लगाये बैठे मुल्जिमान संजय गुप्ता व उसका पुत्र नाम अज्ञात अपने साथ अज्ञात 8 व्यक्तियों को साथ लेकर कार व मोटरसाईकिलों से पीछा करते हुए प्रार्थी की गाडी में ड्राइवर साइड में टक्कर मारकर प्रार्थी की गाड़ी रोकने की कोशिश की। प्रार्थी ने अपनी गाडी व अपने आपको बामुश्किल बचाकर भागने की कोशिश की। तब उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने प्रार्थी का पीछा करते हुए, ग्राम वहोरनपुर कलां के पास गाडी की ड्राइवर साइड से आकर मोटरसाईकिल पर बैठे करीब सांय 7 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोहे की राड से वार किया जिससे प्रार्थी की ड्राइवर साइड का फ्रंट का शीशा टूट गया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड गया और गाड़ी रोड किनारे गड्ढे में जाकर रूक गई, जिस पर संजय गुप्ता के पुत्र ने प्रार्थी जो अपनी गाड़ी चला रहा था, को खिडकी खोलकर बाहर खींच लिया तथा अज्ञात व्यक्तियों ने प्रार्थी के साथ लाठी डन्डो व लोहे की रॉड से मारपीट की तथा प्रार्थी का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण प्रार्थी को गुम तथा खुली चोटें आयी। तभी पीछे से आ रहे लवी यादव व फईम तथा अन्य राहगीरों ने प्रार्थी के साथ मारपीट होता देखकर अपनी गाडी रोक ली तथा उक्त मुल्जिमानों से बामुश्किल बचाया। उक्त मुल्जिमान प्रार्थी को धमकाते हुए कहकर गये कि यदि तू दोबारा अलीगढ आया तो तुझे जान से मार देंगे

तथा हमारे मोबाईल की लोकेशन भी नहीं मिल पायेगी क्योंकि मोबाईल घर छोड़ आये हैं। उक्त मुल्जिमान हेकड़ किस्म के व्यक्ति है तथा इसी प्रकार लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रकन हडप लेते हैं। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित न्यायालय के आदेश से संबंधित थाने पर अभियुक्तगण संजय कुमार गुप्ता, धर्मेन्द्र वासले, रामप्रकाश गुप्ता व अन्य आठ अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–318(4), 126(2), 115(2), 351(3) व 324(4) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा–126(2), 115(2), 351(3) व 324(4) भारतीय न्याय संहिता का लोप किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. मैंने विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), वादी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता तथा आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विनम्रतापूर्वक सुना एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण छल करने से सम्बन्धित है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुमित कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि वह एसबी एग्रो फोजन फूड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। माह फरवरी, 2025 में उसकी मुलाकात दीनदयाल फोजन के डिस्ट्रीब्यूटर संजय कुमार गुप्ता पुत्र दीन दयाल गुप्ता, निवासी–01/36 सी, संजय कॉलोनी, नोरंगाबाद ओल्ड, समा चुंगी, अलीगढ मो0 नं0–7355951612 व धर्मेन्द्र वासले पुत्र नामालूम, निवासी–मथुरा रोड, अलीगढ़ मो0 नं0–9837766000 व रामप्रकाश गुप्ता पुत्र नामालूम, निवासी–पुराना बस स्टैन्ड के पीछे, प्रकाश बीज भण्डार, अलीगड मो0 नं0–7017026576 से हुई, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के साथ 3,32,50,000/– रुपए का दिनांक 18.03.2025 को एग्रीमेन्ट हुआ था, जिसमें 50 प्रतिशत एडवान्स जमा करने की शर्त प्रार्थी से रखी गयी थी। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से 2,40,48,220/–रू0 की धनराशि प्राप्त कर 71,56,590/–रू का माल भेजकर उससे 1,68,91,830/–रू0 की धोखाधडी कर रकम हडप कर उसके साथ छल किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि कथित वादी सुमित कुमार सैनी के विरूद्ध आवेदक द्वारा पूर्व में मुकदमा अपराध सं0-945/2025 अलीगढ़ के थाना क्वार्सी में दर्ज कराया गया था, जिसमें विवेचना प्रचलित है, उसमें दबाव बनाने के लिये उसके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा झूंठा व फर्जी लिखाया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक

04.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0- 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)- आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

दिनांक— 22—07—2026

(अनिल कुमार—IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।